GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

NO.E(MPP)86/13/2. New Delhi, dated: 17.5.1991.

1.The General Managers,
All Indian Railways including
Production Units:ICF, DLW, CLW,
RCF, Kapurthala and DCW, Patiala.

2.The Principal,
Railway Staff Colleve,
Vadodara.

3.The Director,
Indian Railways Institute of Mechanical &
Electrical Engineering,
Jamalpur.

4.Indian Railways Institute of Civil Engineering, Pune.

5.Indian Railways Institute of Signal Engineering &
Telecommunication,
Secunderabad.

Sub: Improvement in service conditions of Faculty Members - Clarificatory instructions - Regarding payment of 30% Training Allowance.

Kindly refer to this Ministry's letters No.E(MPP)86/13/2 dated 28.3.89 and No.E(MPP)86/13/2-Vol.II dated 5.2.91 addressed to General Managers, all Indian Railways and letter No.E(MPP)86/13/2, dated 11.5.88 and No.85/E(GR)II/18/84 dated 15.9.86 addressed to Principal/Directors of 4 centralised Training Institutions regarding grant of 30%/Training Allowance to the Faculty Members drawn on deputation for imparting teaching and training in the Training Schools.

Teaching Allowance now termed as

2. It has inter-alia been stipulated in the above instructions that 30% Training Allowance will count for the purpose of leave salary. However, while providing clarification to the Railways in case of sanction of special allowance to Doctors, it has been stated vide this Ministry's letter No.F(E)III/88/LE-1/2 dated 22.5.90 that for the purpose of working out leave encashment at the time of superannuation, it should be paid on the basis of basic pay, special pay/ personal pay and no other allowance of any type should be taken into account for calculating the leave encashment. As a result of this, certain references have been received from the Railways, seeking clarification whether for the purpose of leave encashment for trainers, 30% Training Allowance should be taken into account or not.

contd/2....

3. It has now been clarified by the Department of Personnel and Training(Training Division) that Training Allowance will count not only for leave salary payable during service, but also for leave encashment payable at the time of retirement.

4. All cases pertaining to leave encashment of trainers should, therefore, be considered in the light of the above clarification.

5. This issues with the approval of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

6. Kindly acknowledge receipt of this letter.

(R.D. Lakhanpal)
Director, Estt.(RRB),
Railway Board.

No.E(MPP)86/13/2. New Delhi, dated: 17.5.91.

Copy to FA&CAOs, all Indian Railways including 'P' Units.

(R.D. Lakhanpal)
Director, Estt.(RRB),
Railway Board.

No.E(MPP)86/13/2. New Delhi, dated: 17.5.91.

Copy to ADAI(Rlys), New Delhi.(With 40 spares)

for Financial Commissioner/Rlys.

Copy to:

F(E)III, E(Trg) and E(NG) Branches.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एमपीपी)86/13/2 नई दिल्ली, दिनांक: 17.5.1991

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें तथा अन्य ।

विषय:- संकाय सदस्यों की सेवा शर्तों में सुधार --30% प्रशिक्षण भत्ते के भुगतान के संबंध में अनुदेशों का स्पष्टीकरण ।

कृपया महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलों को संबोधित इस मंत्रालय के 28.3.89 के पत्र सं.ई(एमपीपी)86/13/2 तथा 5.2.91 के पत्र सं. ई(एमपीपी)86/13/2 वाल्यूम II तथा प्रिंसीपल/निदेशक चारों केन्द्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों को संबोधित 11.5.88 के पत्र सं. ई(एमपीपी)86/13/2 एवं 15.9.86 के पत्र सं. 85/ई(जीआर)11/18/84का अवलोकन करें जो प्रशिक्षण स्कूलों में शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर मंगाए गए संकाय सदस्यों को 30% प्रशिक्षण भत्ता दिए जाने के संबंध में है ।

2. उपरोक्त अनुदेशों में अन्य बातों के साथ यह बताया गया है कि छुट्टी वेतन के प्रयोजन के लिए 30% प्रशिक्षण भत्ता शामिल किया जाएगा । बहरहाल, डाक्टरों को विशेष भत्ते की स्वीकृति के संबंध में रेलों को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराते समय इस मंत्रालय के 22.5.90 के पत्र सं. एफ(ई)111/88/एलई-1/2 में यह बताया गया है कि अधिवर्षिता के समय छुट्टी का संराशिकरण परिकलित करने के प्रयोजन के लिए, इसका भुगतान मूल वेतन के आधार पर किया जाना चाहिए और छुट्टी संराशिकरण परिकलित करने के लिए विशेष वेतन/निजी वेतन तथा किसी भी भी प्रकार के दूसरे किसी भत्ते को शामिल नहीं किया जाना चाहिए । इसके परिणामस्वरूप रेलों से कतिपय संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें यह स्पष्टीकरण

....2/-

चाहा गया है कि प्रशिक्षकों के लिए छुट्टी संराशिकरण परिकलित करने के प्रयोजन से 30% प्रशिक्षण भत्ते को शामिल किया जाना चाहिए कि नहीं ।

3. कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग(प्रशिक्षण प्रभाग) द्वारा अब यह स्पष्ट किया गया है कि प्रशिक्षण भत्ता न केवल सेवा के दौरान देय छुट्टी वेतन के लिए बल्कि सेवानिवृत्ति के समय देय छुट्टी के संराशिकरण के लिए भी परिकलित किया जाएगा । इसलिए प्रशिक्षकों के छुट्टी संराशिकरण से संबंधित सभी मामलों पर उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार विचार किया जाए ।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

5. कृपया इस पत्र की पावती दें ।

(आर. डी. लखनपाल)
निदेशक, स्था. (आरआरबी),
रेलवे बोर्ड ।

सं. ई(एमपीपी)86/13/2 नई दिल्ली, दिनांक: 17.5.1991

प्रतिलिपि वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां ।

(आर. डी. लखनपाल)
निदेशक, स्था. (आर. आरबी),
रेलवे बोर्ड ।

सं. ई(एमपीपी)86/13/2 नई दिल्ली, दिनांक: 17.5.1991

प्रतिलिपि भारत के अपर उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(रेलें) ।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि एफ(ई)111, ई(प्रशि.) एवं ई(एनजी) शाखाएं ।

-:-